उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–1
संख्याः 627/XXVII (1)/2015
देहरादून :: दिनांकः 9 जून, 2015

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद–243 (झ) व 243 (म) सपठित उत्तराखण्ड में लागू उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम–1947 (उत्तर प्रदेश एक्ट सं0–26 ऑफ 1947) की धारा–32–क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिसूचना संख्याः 119/XXVII(1)/ 2015, दिनांकः 02.02.2015 द्वारा प्रो0 टी.एस. पपोला की अध्यक्षता में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था।

उक्त अधिसूचना के कम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री अविकल थपलियाल को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग में सदस्य नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

संख्याः 627/XXVII (1)/2015, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, 15/15–ए, डोभालवाला, कालीदास मार्ग, देहरादून।
3. वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री अविकल थपलियाल, 192–मॉडल कालोनी, आराघर, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड सरकार।
11. निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड
12. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।
13. संयुक्त, निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस निर्देश के साथ कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट, उत्तराखण्ड में प्रकाशित किया जाय।

Scanned by CamScanner